न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 071/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
नारायणराम पुत्र आईदानराम जाति पटेल, निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर		1. श्रीमती ककूदेवी पुत्री सिमरथराम जाति पटेल, निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 2. श्रीमती मीमा पुत्री स्व. शेराराम पत्नी नारायणराम, निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 3. श्रीमती चम्पा पुत्री स्व. शेराराम पत्नी वेनाराम, निवासी ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर 4. सरपंच, ग्राम पंचायत झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, लूणी जिला जोधपुर दिनांक 05 जनवरी 2022 प्रथम अपील प्रकरण संख्या 19/2012 अनवान श्रीमती ककूबाई बनाम नारायणराम

उपस्थित–

1. श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
2. श्री सत्यनारायण राजपुरोहित, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
3. श्री नारायणराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या दो व तीन

निर्णय

दिनांक : 28 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी द्वारा अपील प्रकरण संख्या 19/2012 श्रीमती ककूबाइ पत्नी टाऊराम बनाम नारायणराम पुत्र आईदानराम आदि में पारित आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 18 फरवरी 2022 को प्रस्तुत की है।

अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम झंवर स्थित आराजी खसरा संख्या 412, 415, 414, 342 एवं 343 के सहखातेदार टाऊराम के देहान्त पर उसके हिस्से की भूमि बाबत उसके भाई शेराराम के पक्ष में ग्राम पंचायत झंवर द्वारा स्वीकृत किये गये म्युटेशन संख्या 650 के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमती ककूबाई पत्नी टाऊराम (वर्तमान प्रकरण में रेस्पो. संख्या एक) ने स्वयं को उक्त टाऊराम की पत्नी होना जाहिर करते हुए राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत की। जो बाद आवश्यक कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत झंवर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 650 को निरस्त कर दिया एवं प्रकरण तहसीलदार लूणी को रिमाण्ड कर आदेश दिया कि मृतक टाऊराम पुत्र अमेदाराम के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान की जांच कर नये सिरे से म्युटेशन की कार्यवाही

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ककूदेवी द्वारा अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है जो विलम्ब के समुचित संतोषप्रद एवं विश्वसनीय कारणों के अभाव में मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य थी, क्योंकि एआईआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 1629 व एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट 1199 के अनुसार देरी केवल संतोषजनक कारण के आधार पर ही माफ की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना संतोषजनक कारणों के मात्र विवेकपूर्ण अनुतोष के जरिये विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गयी है। 2022(1) आरआरटी 359 उद्धरित करते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने कथन किया कि उत्तराधिकार के जटिल बिन्दु को म्युटेशन जैसी सरसरी कार्यवाही के बजाय नियमित वाद के जरिये ही विनिश्चित किया जाना चाहिये। म्युटेशन की सरसरी कार्यवाही के आधार पर खातेदारी अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है जैसाकि 2018–19(पूरक) आरआरटी 581 में प्रतिपादित किया गया है। अपनी बहस जारी रखते हुए अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने कथन किया कि टाऊराम के देहान्त के समय उसके कोई जाइन्दा पुत्र नहीं होने से वादग्रस्त आराजियात में उसके हिस्से बाबत उसके भाई शेराराम के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत किया गया। शेराराम ने अपने जीवनकाल में सम्पूर्ण भूमि बाबत नारायणराम के हक में दिनांक 23 अप्रेल 1991 को वसीयत निष्पादित कर पंजीबद्ध करवा दी। उक्त वसीयत के संबंध में शेराराम के कुटुम्ब भाईयों द्वारा विवाद कर दीवानी और फौजदारी प्रकरण भी दर्ज कराये, किन्तु किसी में भी ककूबाई को टाऊराम की पत्नी होना नहीं बताया गया। 19 नवम्बर 1992 को शेराराम का देहान्त हो गया, और तब से विधिक तौर पर नारायणराम उक्त आराजियात का एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार हो गया। ऐसी स्थिति में अन्य किसी के वादग्रस्त आराजियात बाबत किसी भी प्रकार से कोई अधिकार होते तो भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63(1)(iv) के तहत समाप्त हो गये। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने के पूर्व मामले में धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का भी निस्तारण नहीं किया। अपनी बहस में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने यह भी जाहिर किया कि ककूदेवी एवं टाऊराम के विवाह बाबत स्वयं शेराराम द्वारा प्रयास किये गये थे, किन्तु टाऊराम अधिकतर बीमार रहने एवं उम्र में ककूदेवी से 25 साल बडा होने के कारण स्वयं ककूदेवी द्वारा विवाह करने से इंकार कर दिया गया। जिसके बाद ककूदेवी ईश–भक्ति करने लगी, उसके द्वारा किसी अन्य से भी विवाह नहीं किया गया। अंत में अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने कथन किया कि 1992 में शेराराम का देहान्त हो जाने के बाद नारायणराम को उसके हक से वंचित करने के लिए पंचायत का प्रमाणपत्र, पहचान–पत्र, वोटर लिस्ट, तहसीलदार की रिपोर्ट आदि मनमाफिक रूप से बनाई हुई है, नारायणराम को हक प्राप्त होने के पूर्व का कोई दस्तावेज ककूबाई मृतक टाऊराम की पत्नी होने के संबंध में नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 खारिज किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात खसरा संख्या 412, 415 व 414 शेराराम व टाऊराम पिसरान अमेदाराम तथा खसरा संख्या 342 व 343 शेराराम, टाऊराम व अन्य के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी, टाऊराम का देहान्त हुआ, उस समय उसकी पत्नी ककूदेवी (रेस्पो. संख्या

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

एक) जीवित थी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस होने के आधार पर टाऊराम के हिस्से बाबत ककूदेवी का हक बनता है। मगर टाऊराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान बाबत सही जांच किये बिना ही "टाऊराम फौत होने पर उसके जाइन्दा लडका नहीं होने से भाई शेराराम के नाम नवीन अंकन हेतु भरा गया" अंकित करते हुए म्युटेशन संख्या 650 ग्राम पंचायत झंवर द्वारा शेराराम के पक्ष में स्वीकृत कर दिया गया, जो सही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ग्राम पंचायत झंवर का प्रमाणपत्र दिनांक 20 अप्रेल 2014, ग्राम पंचायत झंवर का प्रमाणपत्र दिनांक 12 जून 2015, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग, वोटर लिस्ट लूणी विधान सभा क्षेत्र संख्या 130 वर्ष 1998, वोटर लिस्ट लूणी विधान सभा क्षेत्र संख्या 130 वर्ष 2009 एवं उप–तहसीलदार झंवर की रिपोर्ट दिनांक 16 जून 2015 (इन सभी में ककूबाई के पति का नाम टाऊराम लिखा हुआ है) आदि दस्तावेजात पेश कर भलीभांति साबित कर दिया गया कि ककूदेवी मृतक टाऊराम की पत्नी है। उक्त दस्तावेजात स्थानीय निकाय एवं सरकारी विभाग द्वारा जारी किये गये है जिन्हें मात्र अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत आधारहीन अभिकथनों के आधार पर सही नहीं माने हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक टाऊराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान बाबत विधिवत पुनः जांच कर म्युटेशन की कार्यवाही किये जाने बाबत तहसीलदार को निर्देशित किया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। मियाद के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों, 1982 आरआरडी 332, 1990 आरआरडी 644, 2009(2) आरआरटी 1102 (उच्च न्यायालय), 1999 आरआरडी 319 (उच्च न्यायालय), 1999 आरआरडी 173 (सर्वोच्च न्यायालय), 1998 आरआरडी 465, 2015(2) सीसीसी 248 (सर्वोच्च न्यायालय) एवं 2013(1) आरएलडब्ल्यु 268 (सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसरण में मामला गुणावगुण पर मजबूत होने से मियाद–प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए प्रथम अपील को अन्दर मियादशुमार किया है। अधिवक्ता–अपीलाण्ट द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निस्तारण नहीं किये जाने संबंधित प्रस्तुत तर्क का विरोध करते हुए अधिवक्ता–रेस्पो. ने कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक ककूदेवी मृतक सहखातेदार टाऊराम की विवाहिता पत्नी है और प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण वादग्रस्त आराजियात में टाऊराम के हिस्से की भूमि से हितबद्ध एवं ग्राम पंचायत झंवर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 650 से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार होने से उक्त म्युटेशन के खिलाफ चाराजोई करने का उसे पूर्ण अधिकार एवं पात्रता प्राप्त है। उसके द्वारा प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मियादशुमार करते हुए गुणावगुण के आधार पर स्वीकार की गयी है, जिससे अपील प्रस्तुत करने की गर्भित अनुमति दिया जाना जाहिर है। औपचारिक अनुमति दिये जाने मात्र के तकनीकी आधार पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं न्याय की मंशा के अनुरूप नहीं है। अंत में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। वादग्रस्त आराजियात बाबत पूर्व में राजस्व रिकार्ड के अनुसार टाऊराम सहखातेदार दर्ज होना निर्विवादित है। पक्षकारान के मध्य विवाद का मूल

बिन्दु टाऊराम के देहान्त के बाद उसके हिस्से की भूमि बाबत स्वीकृत म्युटेशन संख्या 650 के संबंध में है। उल्लेखनीय है कि "टाऊराम फौत होने पर उसके जाइन्दा लडका नहीं होने से भाई शेराराम के नाम नवीन अंकन हेतु भरा गया" अंकित करते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 650 ग्राम पंचायत झंवर द्वारा शेराराम के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, जबकि ककूदेवी (वर्तमान रेस्पो. संख्या एक) मृतक सहखातेदार टाऊराम की पत्नी है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस होने के कारण टाऊराम के हिस्से की भूमि बाबत ककूदेवी के पक्ष में म्युटेशन स्वीकृत किया जाना चाहिये। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकट होता है कि–

1. विधान सभा क्षेत्र संख्या 130 लूणी में बतौर निर्वाचक ककूबाई/टाऊराम का नाम भाग संख्या 10 प्रविष्टि संख्या 412 पर वर्ष 2012 में दर्ज है। इसी प्रकार वर्ष 2009 के लिए भी बतौर निर्वाचक ककूबाई/टाऊराम का नाम होना पाया जाता है।
2. भामाशाह कार्ड में ककूबाई पत्नी टाऊराम निवासी झंवर दर्ज है। (पहचानपत्र संख्या RJ/24/186/027547)
3. आधार कार्ड संख्या 536394791873 में ककूबाई पत्नी टाऊराम निवासी झंवर दर्ज है।
4. मतदाता पहचान पत्र दिनांक 6 दिसम्बर 2010 में ककूबाई/टाऊराम निवासी झंवर दर्ज है। (मतदाता पहचान पत्र संख्या RJ/24/186/027547)
5. ग्राम पंचायत झंवर द्वारा भी ककूबाई के टाऊराम की पत्नी होने का प्रमाणपत्र जारी किया हुआ है।

अधीनस्थ न्यायालय में उप–तहसीलदार झंवर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 16 जून 2015 के अनुसार खातेदार टाऊराम के फौते होने पर तथा जाइन्दा लडका नहीं होने से भाई शेराराम के नाम म्युटेशन ग्राम पंचायत झंवर द्वारा स्वीकृत किया गया है, जबकि स्व. टाऊराम के पत्नी ककूदेवी आज भी जीवित है जो प्रथम श्रेणी वारिस है।

उक्त सभी के आधार पर अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ककूबाई को वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार टाऊराम की पत्नी और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिस जीवित होते हुए "टाऊराम फौत होने पर उसके जाइन्दा लडका नहीं होने से भाई शेराराम के नाम नवीन अंकन हेतु भरा गया" अंकित करते हुए ग्राम पंचायत झंवर द्वारा शेराराम के पक्ष में स्वीकृत म्युटेशन संख्या 650 को सही नहीं मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

जहाँ तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं किये जाने का प्रश्न है, इस संबंध में अदालत हाजा अधिवक्ता–रेस्पो. के इस तर्क से सहमत है कि उपलब्ध अभिलेख के अनुसार रेस्पो. संख्या एक ककूदेवी मृतक सहखातेदार टाऊराम की विवाहिता पत्नी होने के कारण उसकी प्रथम श्रेणी की वारिस होकर वादग्रस्त आराजियात में टाऊराम के हिस्से की भूमि से हितबद्ध एवं ग्राम पंचायत झंवर द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 650

से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्षकार है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर अपील स्वीकार कर लिया जाना स्वतः ही अपील पेश करने की गर्भित अनुमति है। मात्र औपचारिक अनुमति संबंधित तकनीकी आधार पर अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित एवं न्याय की मंशा के अनुरूप प्रतीत नहीं होता है।

इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मामला गुणावगुण पर सारवान पाये जाने से विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों, 1982 आरआरडी 332, 1990 आरआरडी 644, 2009(2) आरआरटी 1102 (उच्च न्यायालय), 1999 आरआरडी 319 (उच्च न्यायालय), 1999 आरआरडी 173 (सर्वोच्च न्यायालय), 1998 आरआरडी 465, 2015(2) सीसीसी 248 (सर्वोच्च न्यायालय) एवं 2013(1) आरएलडब्ल्यु 268 (सर्वोच्च न्यायालय) के अनुसरण में "डिले कण्डोन" किया जाकर प्रथम अपील को अन्दर मियादशुमार किया गया है। जो न्यायोचित है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं किये गये विवेचन एवं विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अदालत हाजा की राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य एवं आधार नजर नहीं आता है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा अपील प्रकरण संख्या 19/2012 श्रीमती ककूदेवी पत्नी टाऊराम बनाम नारायणराम पुत्र आईदानराम आदि में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05 जनवरी 2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर